न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या : 108 / 2020

ललित सैनी पुत्र श्री रामगोपाल सैनी, जाति सैनी, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, वार्ड न0 4, अडूका, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश वशिष्ठ अभिभाषक– अपीलान्ट की ओर से
2. श्रीमती अनामिका विभागीय पैरोकार– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– – –

अपील बाबत निरस्त करने आदेश दिनांक 22.07.2020 कमांक रसद / प्राधिकार / 2020 द्वारा जिला रसद अधिकारी झुझुनू

– – –

आदेश

दिनांक 13.08.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनू के आदेश दिनांक 22.07.2020 के विरुद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्टस निम्नानुसार है :– प्रार्थी को जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा कार्यालय आदेश कमांक रसद / प्राधिकार / 2020 / 336 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा विभागीय नियमानुसार ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू मे उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने का आदेश दिया गया था। प्रार्थी उक्त आदेश के अनुसार मार्च 2020 (5 माह) से ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं मे राशन वितरण का कार्य पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से करता आ रहा है। प्रार्थी को आदेश कमांक रसद / प्राधिकार / 2020 / 266 दिनांक 22.07.2020 कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा ग्राम अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का अस्थाई राशन वितरण के कार्य से हटा दिया गया है। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दिये गये आदेश कमांक रसद / प्राधिकार / 2020 / 266 दिनांक 22.07.2020 मे प्रार्थी को राशन वितरण के कार्य से हटाने का कारण उपभोक्ताओं के हितों के मध्यनजर अंकित किया गया है। उक्त आदेश के हितों के संबंध मे या उपभोक्ताओं की किसी समस्या के बारे मे कोई अंकन नही है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गए नवीनतम आदेश कमांक एफ–17(9)खा0वि0 / न्याय / 2012–II जयपुर दिनांक 13.06.2019 के निर्देश संख्या 2 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकानों को 3 किलोमीटर से अधिक दूर वाली उचित मूल्य दुकान पर अटैच नही करे** जबकि प्रार्थी की दुकान मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जबकि उक्त आदेश जिसके पक्ष मे किया गया है वह 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये नवीनतम आदेश कमांक एफ–17(9)खा0वि0 / न्याय / 2012–II जयपुर दिनांक 13.06.2019 के निर्देश संख्या 4 मे जिला रसद अधिकारी द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने पर समीक्षा कर निर्णय लेने का उल्लेख है जबकि प्रार्थी को मात्र 5 महीने ही हुए है। जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं के कार्यालय आदेश कमाकं रसद / प्राधिकार / 2020 / 266 दिनांक 22.07.2020 द्वारा जिस डीलर को

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रार्थी के स्थान पर नियुक्त किया गया है वह पूर्व मे दिनांक 05.07.2018 को वितरण कार्य मे हेरा–फेरी करने व बेईमानी करने की वजह से जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा ही निलम्बित किया जा चुका है। जिसकी राजस्थान पत्रिका मे दिनांक 06.07.2018 को न्यूज प्रकाशित हुई थी। इस समय कोरोना वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है जिसमे राशन का वितरण सुचारू रूप से किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी के पास पी0ओ0एस0 मशीन चालू है व प्रार्थी के पास अगस्त माह का राशन भी वितरण के लिए आ चुका है। प्रार्थी ब्राह्मणों की ढाणी सूरजगढ जिला झुंझुनूं मे लम्बे अरसे से स्थाई रूप से राशन वितरण का कार्य कर रहा है इस प्रकार प्रार्थी को राशन वितरण का काफी अनुभव है। इस प्रकार उक्त कार्य का पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद प्रार्थी को ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के राशन वितरण के कार्य से हटाना पक्षपातपूर्ण है। प्रार्थी के ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं मे राशन वितरण किये जाने से ग्रामवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी या असुविधा नही है। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित परिवाद अन्य किसी न्यायालय मे ना तो लम्बित है और ना ही प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/266 दिनांक 22.07.2020 निरस्त फरमाया जावे व आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/336 दिनांक 04.02.2020 को यथावत रखा जाकर प्रार्थी को ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का राशन वितरण का कार्य पूर्व की भांति सुचारू रूप से करने दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/336 दिनांक 04.02.2020 के द्वारा विभागीय नियमानुसार ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं मे उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने का आदेश दिया गया था। अब प्रार्थी को आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/266 दिनांक 22.07.2020 कार्यालय जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का अस्थाई राशन वितरण के कार्य से हटा दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गए नवीनतम आदेश क्रमांक एफ–17(9) खा0वि0/न्याय/2012–II जयपुर दिनांक 13.06.2019 के निर्देश संख्या 2 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकानों को 3 किलोमीटर से अधिक दूर वाली उचित मूल्य दुकान पर अटैच नही करे** जबकि प्रार्थी की दुकान मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जबकि उक्त आदेश जिसके पक्ष मे किया गया है वह 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं का आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/266 दिनांक 22.07.2020 निरस्त फरमाया जावे व आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/336 दिनांक 04.02.2020 को यथावत रखा जाकर प्रार्थी को ग्राम अड़ूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं का राशन वितरण का कार्य पूर्व की भांति सुचारू रूप से करने दिया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अस्थाई राशन डीलर को अपने कार्य के साथ–साथ किये गये अटेचमेन्ट को जारी रखने के लिए अपील करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक रसद/प्राधिकार/2020/266 दिनांक 22.07.2020 सही है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आदेश जारी किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्षों की बहस पर मनन किया। रिकार्ड अदालत मातहत का भी अवलोकन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गए नवीनतम आदेश क्रमांक एफ–17(9) खा0वि0/न्याय/2012–II जयपुर दिनांक 13.06.2019 के निर्देश संख्या 2 मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकानों को 3 किलोमीटर से अधिक दूर वाली उचित मूल्य दुकान पर अटैच नही करे** जबकि प्रार्थी की दुकान मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जबकि

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

उक्त आदेश जिसके पक्ष मे किया गया है वह 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे राशन उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। **अतः अपील अपीलान्ट तो खारिज की जाती है। परन्तु जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि राशन उपभोक्ताओं की सुविधाओं के मध्यनजर रखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राशन वितरण कार्य के निर्धारित दूरी मे स्थित राशन डीलर के नाम अटेचमेन्ट के समुचित आदेश जारी करे।**

आदेश की प्रति अदालत मातहत को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू